कार्यालय, प्राचार्य सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द

E mail : srkgovtcollegerajsamand@gmail.com

क्रमांक एफ 1( )स्था/रामरा/वि.स.यो./गे.फे./2023/701 दिनांक 14.08.2023

प्रेस विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के परिपत्र दिनांक 12.08.2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 07.08.2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित **"विद्या संबल योजना"** के अन्तर्गत 24 सप्ताह अथवा 28.02.2024 जो भी पहले हो (अधिकतम 14 साप्ताहिक घण्टे अनुसार) 800/– रूपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी (पूर्णतय अस्थाई) के रूप में राजसेस अधीन किरण माहेश्वरी राजकीय महाविद्यालय, कुंवारिया में निम्नांकित विषयों मे अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक 24.08.2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित है। आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcrajsamand पर Circular में से डाउनलोड किया जा सकता है।

महाविद्यालय का नाम	गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रण सत्र 2023–24 विवरण		
	क.सं.	विषय	रिक्त पदों की संख्या
राजसेस अधीन किरण माहेश्वरी राजकीय महाविद्यालय, कुंवारिया	1	राजनीति विज्ञान	1 (एक)
	2	हिन्दी साहित्य	1 (एक)
	3	इतिहास	1 (एक)
	4	गृह विज्ञान	1 (एक)
	5	अंग्रेजी	1 (एक)
	6	अर्थशास्त्र	1 (एक)
	7	लोक प्रशासन	1 (एक)

नोट –

1. उपरोक्त सभी आवेदन केवल सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द रिजर्व पुलिस लाईन के पास ने.हा. 8 पिन कोड नं. 313324 के पते पर डाक से भिजवाऐं या नियत तिथि तक व्यक्तिशः जमा करावें।
2. यदि किसी विषय में प्रवेश नीति 2022 के बिन्दु संख्या 2.2 में वर्णित न्यूनतम निर्धारित संख्या से कम विद्यार्थी होने पर उस विषय हेतु प्राप्त गेस्ट फैकल्टी के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. सभी रिक्तिया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा अनुशंषित किये जाने पर प्रभावी होगी। रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

निर्मला 14/8/23

(श्रीमती निर्मला मीणा)
प्राचार्य/नोडल प्राचार्य
सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमंद

प्राचार्य
सेठ रंगलाल कोठारी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 07.08.2023

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :–

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	18 घंटे
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	18 घंटे
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	18 घंटे
अनुदेशक	–	300/–	18 घंटे
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	18 घंटे

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
सहायक आचार्य	800/–	14 घंटे
सह आचार्य	1000/–	13 घंटे
आचार्य	1200/–	12 घंटे

(अ) पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने की अवधि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारित की जा सकेगी।

........2

(ब) प्रति सप्ताह लिये जाने वाले अधिकतम कालांश की सीमा निर्धारित की गयी है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर इससे कम कालांश में भी पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा सकता है।

(स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान भी किया जावे।''

पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।. 7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी समस्त ।
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
10. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प. 17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - ०४/ 2023)

14/8/23

राजस्थान सरकार

शिक्षा–विभाग

<u>आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांकः एफ1( )विद्या सम्बल/ आकाशि /गे.फै./दिशा निर्देश /21 दिनांकः

प्राचार्य ,

समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित गैस्ट फैकल्टी के पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।

महोदय,

विद्या संबंल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी हैः–

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/ पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमो के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधो/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः–

(a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो,

(b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रंबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(c) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।

(d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।

(e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियो/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।

उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्यो/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

विद्या संबंल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विद्या संबंल का पैनल तैयार किया जाना है।

गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें।सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जानें है।

(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालयों स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जावें।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायें, एक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) इस योजना के तहत आमंत्रित शिक्षक से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

पैनल का अनुमोदन संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. की ई–मेल से ही किया जायेगा।

Signature valid

संयुक्त निदेशक एच.आर.डी.
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Digitally signed by Dr. Tara Chand Bairwa
Designation : Professor
Date: 2023.08.12 08:24:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4506076

प्रारूप

शपथ– पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (संस्थान का नाम)........... में दिनांक................ को प्रति कालांश के आधार पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो तक के लिए (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया हूं।

1. यह है कि मैंने.................................संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक...................के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू. सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा /करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं, करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी ।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2024 जो भी पहले हो तक के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ।
9. मैं संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है ।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा ।
12. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमंद

(आयुक्तालय के पत्रांकः एफ1()विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फे./दिशानिर्देश/21/05 दिनांकः 14 अगस्त, 2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.6(2)/वित्त/सा.वि.ले.नी./2021 दिनांकः 30–मार्च–2021 एवं 07 अगस्त 2023 के निर्देशानुसार)

विद्या संबल योजना
अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन पत्र (सत्र 2023–24)

आवेदन पत्र : निशुल्क

आवेदित विषय	
महाविद्यालय का नाम जिसके लिए आवेदन है	राजसेस अधीन किरण माहेश्वरी राजकीय महाविद्यालय, कुंवारिया जिला राजसमन्द
विज्ञप्ति संख्या एवं तिथि	

आवेदक नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएं ***(स्टैपल न करें)***

भाग एक : व्यक्तिगत सूचना

1.	*आवेदक का नाम*	श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ/प्रो.		
2.	*पिता का नाम*	श्री		
3.	*माता का नाम*	श्रीमती		
4.	*लिंग*	*पुरूष ( ) महिला ( ) अन्य ( )*		
5.	*जन्म तिथि*		*01–जुलाई–2023 को आयु*	
6.	*वैवाहिक स्थिति*	*विवाहित ( ) अविवाहित ( ) अन्य ( )*		
7.	*श्रेणी*	***GEN / SC / ST / OBC (Non Creamy Layer) / PWD***		
8.	*क्या आप महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी है ?*			**हां / नहीं**
9.	*स्थायी पता*			
10.	*पत्र व्यवहार हेतु पता*			
11.	*मोबाइल नम्बर*			
12.	*वाट्सएप मोबाइल नम्बर*			
13.	*ई–मेल आई.डी.*			
14.	*आधार नम्बर या आधार पंजीकरण संख्या*			

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ————————————————————————————

Seth Ranglal Kothari Govt. PG College, Rajsamand

भाग दो : शैक्षणिक सूचना

कक्षा	*बोर्ड/विश्वविद्यालय का पूर्ण नाम*	*विषय*	*उतीर्ण वर्ष*	*श्रेणी*	*कुल पूर्णांक*	*प्राप्तांक*	*प्रतिशत प्राप्तांक*
10वीं							
12वीं							
स्नातक							
अधिस्नातक /स्नातकोत्तर							
एम.फिल.							
पीएच.डी.							
नेट							
जे.आर.एफ. सहित नेट							
सेट/स्लेट							

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ————————————————————————————

भाग तीन : शोध प्रकाशनों संबंधी सूचना

(सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित)

क्र.सं.	*प्रकाशित शोध का टॉपिक*	*जर्नल का विवरण*	*वर्ष*	*प्रकाशन प्रकार ;ैछछध्ैछ छवण्द्ध*

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करें ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ————————————————————————————

भाग चार (अ): अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार संबंधी सूचना

(अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रदत्त पुरस्कार)

क्र.सं.	*संस्था का विवरण*	*पुरस्कार का विवरण*	*वर्ष*

Seth Ramlal Kothari Govt. College, Rajsamand

भाग चार (ब): राज्य स्तरीय पुरस्कार संबंधी सूचना

(राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कार)

क्र.सं.	*संस्था का विवरण*	*पुरस्कार का विवरण*	*वर्ष*

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि ——————————————————————————

भाग पांच : पोस्ट डॉक्टोरल / शिक्षण अनुभव

पद	*संस्था का पूर्ण नाम एवं पता*	*अवधि (तिथि–माह–वर्ष)*		*कुल अनुभव (सत्र)*	*नियुक्ति प्रकृति (स्थायी / अस्थायी / स्थिर वेतन / प्रति कालांश)*
		से	*तक*		

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं ______________ यह घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदत्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही, प्रमाणित एवं सत्य है । यदि इन सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होउंगा/होउंगी ।

दिनांक :

स्थान : आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

Seth Ranglal Kothari Govt. PG College, Rajsamand

सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमंद

विद्या संबल योजना

अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन पत्र (सत्र 2021—22)

प्रमाण पत्रों की सूची

क्र. सं.	विवरण	कुल पृष्ठ	संलग्नक संख्या
1	श्रेणी का प्रमाण पत्र — प्रतिलिपि		
2	शारीरिक रूप से निशक्त होने का प्रमाण पत्र — प्रतिलिपि		
3	आधार संख्या / आधार पंजीकरण संख्या — प्रतिलिपि		
4	यदि महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी है तो पी.पी.ओ./सेवानिवृत्ति आदेश — प्रतिलिपि		
5	कक्षा 10 अंकतालिका/जन्म प्रमाण पत्र — प्रतिलिपि		
6	स्नातक अंकतालिका — प्रतिलिपि		
7	स्नातकोत्तर अंकतालिका — प्रतिलिपि		
8	एम.फिल. अंकतालिका — प्रतिलिपि		
9	पीएच.डी. प्रमाणपत्र/डिग्री — प्रतिलिपि		
10	नेट जे.आर.एफ. सहित प्रमाणपत्र — प्रतिलिपि		
11	नेट प्रमाणपत्र — प्रतिलिपि		
12	सेट/स्लेट प्रमाणपत्र — प्रतिलिपि		
13	शोध प्रकाशनों के प्रमाण पत्र — प्रतिलिपियां (सभी)		
14	पुरस्कारों के प्रमाण पत्र — प्रतिलिपियां (सभी)		
15	पोस्ट डॉक्टोरल / शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र — प्रतिलिपियां (सभी)		

जांच सूची	*हां/नहीं*
1. क्या सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रतिलिपियों पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं ?	
2. क्या फोटोग्राफ पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं ?	
3. क्या आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं ?	
4. क्या आवेदन पत्र के सभी खाने भरे गये हैं (या 'लागू नहीं' लिखा गया है) ?	
5. क्या ''प्रमाण पत्रों की सूची'' तैयार कर दी गयी है ?	
6. क्या ''प्रमाण पत्रों की सूची'' में एवं संलग्नों पर संलग्नक—संख्या अंकित कर दी गयी है ?	

दिनांक :

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर